नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

बाबा श्याम का कार्तिक महोत्सव 12 नवम्बर को

- वार्षिक लक्खी मेले की रिहर्सल मानते हुए करेगा प्रशासन तैयारियां

खाटूश्यामजी। बाबा श्याम के कार्तिक शुक्ल एकादशी के अवसर पर 12 नवम्बर को आयोजित होने वाले कार्तिक महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को बैठक आयोजित हुई।बैठक में यातायात, पार्किंग, अतिक्रमण, पटाखे,ई रिक्शा चिकित्सा, विधूत सहित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि कार्तिक मेले को वार्षिक लक्की मेले की रिहर्सल मानते हुए तैयारी करनी है।

जिससे आने वाले श्याम भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन हो। डीएम ने कहा कि सभी विभाग समय सीमा में तैयारियों को अंतिम रूप देंगे तथा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतें।कार्तिक शुक्ल एकादशी पर आयोजित होने वाले मेले में पटाखों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा तथा मंदिर कमेटी दीपदान के लिए आमजन से अपील करेगी। पांच मेडिकल टीम 24 घंटे तैनात रहेगी।दो बाइक एम्बुलेंस के साथ ही 104 एम्बुलेंस व स्ट्रेक्चर की व्यवस्था रहेगी। विधुत विभाग द्वारा दो टीमे बनाकर 40 कर्मचारी कार्य करेंगे।

वहीं नगरपालिका द्वारा सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाया जाएगा।तोरण द्वार से थाना मोड़,मंडा रोड़ से कैरपुरा रोड़ व राजू की चैन से मोदी चोक तक अतिक्रमण हटाया जाएगा।जिसके लिए तहसीलदार महिपाल सिंह,ईओ देवेन्द्र कुमार जिंदल व डीवाईएसपी संजय बोथरा मंथन कर कार्रवाई करेंगे।बैठक में वैंडिंग व नॉन वैडिंग जोन का समाधान करने को लेकर निर्देशित किया गया है। ई-रिक्शा का रूट चार्ट तय होगा तथा इन पर नम्बर लिमिट रखी जाएगी।कस्बे में तिलक लगाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए धर्मशाला, दुकान,होटल के बाहर कचरा पात्र अनिवार्य होगा और चाट दुकान को कचरा की व्यवस्था करनी होगी। मंदिर दर्शन मार्ग में बने शौचालयों को मंदिर कमेटी दुरुस्त करवायेगी।बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी समय पर नहीं आने पर डीएम ने लताड़ लगाई साथ ही 52 बीघा पार्किंग रोड़,जो क्षितग्रस्त हो गई है उसे चार दिन में पेचवर्क पर दुरूस्त करवाया जाएगा। इसके साथ ही श्रीधाम धर्मशाला के पास भी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। नगरपालिका पार्किंग की व्यवस्था करेगी।इसके साथ ही आम रास्तों में वाहन खड़े होने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है,आठ क्रेन लगाकर व्यवस्था की जाएगी। रोडवेज द्वारा 50 अतिरिक्त बसें लगाई जाएगी।बैठक में श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान, उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष शर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई।

8 करोड़ 65 लाख नकदी व शराब को किया सीज

अलवर। एडीएम द्वितीय एवं व्यय प्रकोष्ठ प्रभारी श्री योगेश कुमार डागुर ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन पर रामगढ विधानसभा उप चुनाव के दौरान विभिन्न विभागों के निगरानी दलों ने अवैध नकदी एवं अवैध शराब की रोकथाम हेतु अब तक 8 करोड 65 लाख रूपये से अधिक राशि की नकदी, शराब आदि को सीज करने की कार्रवाई की है।

मतदान दिवस 13 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश

अलवर। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि रामगढ विधानसभा उप चुनाव-2024 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान दिवस 13 नवम्बर को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो रामगढ विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है।

जैन समाज ने बंद रखे प्रतिष्ठान, पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद

- राजपूत समाज ने सौंपा ज्ञापन

निवाई। जैन नसियां मंदिर में स्थित छतरी के मामले को लेकर बुधवार को राजपूत समाज ने छतरी में पूजा करने की मांग लेकर उपखंड अधिकारी सुरेशकुमार हरसोलिया को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सकल दिगंबर जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया और जैन नसियां मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कई स्थानों पर तैनात रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राजपूत समाज के छात्रावास में राजपूत समाज के कई लोग एकत्रित होकर आमसभा का आयोजन किया।

आम सभा में कई वक्ताओं ने राजपूत समाज के लोगों को झिलाय वालों के बाग में स्थित छतरी में पूजा अर्चना करने के के मामले को लेकर विस्तार से संबोधित किया। इसके बाद राजपूत समाज के लोग दादी माता के जयकारे लगाते हुए जुलूस के साथ रवाना हुए। जुलूस 80 फीट रोड होते हुए श्याम मंदिर, कृषि उपज मंडी व झिलाय रोड होते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचा। जहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर छतरी में पूजा अर्चना करने की मांग की। जुलूस में श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सिंह खिजुरी, अजय सिंह बावड़ी, भगवती सिंह बपुई, टोंक जिला अध्यक्ष मदन सिंह चौहान, गणेश सिंह राजावत, महेंद्र सिंह बिडोली, एडवोकेट डॉ तेजभंवर सिंह नटवाड़ा, प्रेम सिंह निमेड़ा, नरेंद्र सिंह आमली, भंवर सिंह रेटा, कृष्णवीर सिंह, निकवेंद्र सिंह, दिलीप सिंह कोलाडा, करण सिंह राजावत, दुर्गा सिंह सुनारा, गोविंद सिंह, नरेन्द्र सिंह प्यावडी, रामभंवर सिंह झाड़ोदा, विक्रमसिंह राजावत, भंवर सिंह खेड़ा, नटवर सिंह लोदेडा, एड. विजय बहादुर सिंह अलीपुरा, एड. हिम्मत सिंह शक्तावत, जगदीश सिंह कडिला, भगीरथ सिंह मूंडिया, नगेंद्र सिंह गुगड़ोद, देवराज सिंह निमेड़ा, दशरथ सिंह, विजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह हनोतियां, चंद्रवीर सिंह लावा, डॉ संजू कंवर, दीपशिखा चौहान, दीप्ति राजावत, मंजू कंवर, बृज कंवर, राज कंवर, संतोष राठौड़, सीमा कंवर, चंचल कंवर, बीना कंवर, भानु जोधा, गुड्डी कंवर, रेणु कंवर, महिमा नाथावत, अंजना कंवर, दशरथ सिंह चौहान, कई महिला पुरूष मौजूद थे। इसी मामले को लेकर सकल दिगंबर जैन समाज के लोगों ने नसियां मंदिर में णमोकार मंत्र के जाप किए व प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया।

इस अवसर पर जिला प्रमुख सरोज नरेश बंसल, समाज के अध्यक्ष नेमीचंद गंगवाल, मंत्री महावीरप्रसाद पराणा, विष्णु बोहरा, पारस पहाडी, जितेंद्र चंवरिया, विमल जौंला, संजय भाणजा, सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेंद्र सिंह भाटी, डीवाईएसपी मृत्युंजय मिश्रा, उनियारा पुलिस उपाधीक्षक रघुवीरसिंह भाटी सहित थानाधिकारी हरिराम वर्मा, सदर थानाधिकारी जयमलसिंह, बरोनी थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह व दत्तवास थानाधिकारी कालूराम मीणा सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

निवाई में राजपूत समाज के जुलूस में शामिल लोग।

हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

पावटा। थाना प्रागपुरा क्षेत्र में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार की टीम ने दो अभियुक्तों को गिरतार किया है। पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड राजन दुष्यंत ने बताया कि जिले मे वांछित अपराधियों की गिरतारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के निर्देशन एंव वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन व प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व मे थाना प्रागपुरा पर गठित टीम ने प्रकरण मे फरार अपराधियों की सरगर्मी से तलाश करते हुए रामपाल पुत्र राम स्वरूप उम्र 27 साल निवासी खेडकी मुक्कड व विक्रम उर्फ धोलाराम पुत्र जगदीश उम्र 26 साल निवासी खेडकी मुक्कड को गिरतार करने मे सफलता अर्जित की। प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि 24 दिसबर 2022 को परिवादी मुकेश पुत्र बनवारीलाल उम्र 30 साल निवासी चाचा नेहरू नगर ढाणी छाजाला ने मामला दर्ज करवाया था कि अभियुक्तों द्वारा उनको जान से मारने की नियत से उनसे मारपीट करते हुए फायर किया। जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था। वही अभियुक्त रामपाल के खिलाफ पनियाला थाने मे एक्साईज एक्ट मे व अभियुक्त विक्रम उर्फ धोलाराम के खिलाफ बांसुर थाने मे मामला दर्ज है।

दो वंछित आरोपी को गिरफ्तार किया ।

कांग्रेस-भाजपा प्रत्याशियों के बीच आमने-सामने का मुकाबला

अलवर। रामगढ़ में विधायक जुबेर खान के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव का रंग चढ़ने लगा है। क्षेत्र के मतदाता कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान को सिंपैथी पर वोट देकर कांग्रेस की हैट्रिक बनाएंगे या फिर भाजपा के सुखवंत सिंह की दो बार की लगातार हार को तीसरी बार जीत में बदलेंगे यह तो ईवीएम का बटन दबाकर मतदाता तय करेंगे। लेकिन मतदाताओं में दोनों प्रत्याशियों के प्रति सिंपैथी का माहौल बना है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है की दोनों प्रत्याशियों में से किस को मतदाता अपना विधायक चुनकर विधानसभा की कुर्सी पर बैठने के लिए भेजता है यह देखने वाली बात होगी। इस चुनाव से दो राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय व दो प्रदेश के नेताओं की प्रतिष्ठा जुड़ी है। केंद्र सरकार में मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव व भाजपा प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व अलवर से सांसद भंवर जितेंद्र सिंह व राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता तथा अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली है। जिसके चलते रामगढ़ उप चुनाव पर देश और प्रदेश की नजर टिकी है।

बात करें विधानसभा प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली की तो उनके गृह जिले में उप चुनाव हो रहा है और उनकी छवि देश प्रदेश की कांग्रेस में एक दलित तेजतर्रार नेता के रूप में होने लगी है। ऐसे में अब रामगढ़ का उपचुनाव में कांग्रेस का जितना टीकाराम जूली के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। जूली कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में गांव गांव जाकर वोट मांगने के लिए निकल पड़े हैं।

रामगढ़ में कांग्रेस अक्सर त्रिकोणीय मुकाबले में चुनाव जीती है लेकिन इस बार का चुनाव भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच आमने-सामने का रहने से कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ती दिखाई पड़ रही है।

भाजपा का उनियारा क्षेत्र में युवा सम्मेलन आयोजित

टोंक। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा उनियारा क्षेत्र में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन पधारे में राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा की राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने उनियारा क्षेत्र के विकास को ठप्प कर दिया था और अब हमारी सरकार सम्पूर्ण राजस्थान सहित उनियारा क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इस विकास को गति देने के लिए आप को आगामी 13 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर और तेजी लानी है, मंत्री ने क्षेत्र मे मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा किये जा रहे विकास के कार्यों की जानकारी देते हुये कहा की मैं और मेरी सरकार इस क्षेत्र मे बिजली, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र मे जनता की सेवा मे कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने युवाओं को सम्बोधित करते हुये कहा: की युवा मोर्चा पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और आप सभी को 13 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करवा कर पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर को विजय बनाना है,भीलवाड़ा सांसद एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने कहा की हर बूथ जीतने के मन्त्र से बढ़ते हुये जीत को एक बड़ी जीत मे बदलना है, उन्होंने कांग्रेस की जनता विरोधी नीतियों पर प्रकाश ड़ालते हुये कहा की विकास को जमीन पर लाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है।

इसी क्रम में जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता ने सम्बोधित करते हुए भरोसा दिलाया की हम सभी देवली उनियारा विधानसभा की जीत का तोहफा मुख्यमंत्री को देकर क्षेत्र मे विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। इस अवसर पर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नरेंद्र जयसिंगपुरिया पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर लाल थाड़ा, नरेश बंसल, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर चौहान, ममता जाट सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

केबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने रामलीला का शुभारम्भ किया।

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई-निविदा
मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की और से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दर्शायी गयी तिथि में सील की गई खुली निविदा आमंत्रित करते है । **निविदा संख्या** : एस.एण्ड.टी / बी.के.एन ईटी 303 **कार्य का नाम व स्थान** : वरिष्ठ खंड अभियंता संकेत भिवानी के कार्यक्षेत्र में विभिन्न इंजिनीरिंग कार्यो के सम्बन्ध में S&T से सम्बंधित कार्य करना। **अनुमानित लागत मूल्य** रू. : 11452404.89 **Bid Security** : 207300.00 **निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समय** : 29.11.24 को 15.00 बजे तक **वेब साइट जहाँ निविदा का पूरा विवरण देखा व डाऊनलोड किया जा सकता है।** : www.ireps.gov.in 1279-AJ/24
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

प्रपत्र संख्या-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम,वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 87/2024
चूंकि श्री स्वामी सच्चिदानन्द पुत्र श्री छिद्दी सिंह, निवासी मंदिर श्री ठाकुर जी रिवाला धाम, मलपुरा, केशवाना राजपूत, कोटपूतली-बहरोड ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत धर्मरक्षा संघ, खसरा नम्बर 625, एन.एच.-48, ग्राम केशवाना राजपूत, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड (राजस्थान) के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 20.12.2024
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम,वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 88/2024
चूंकि श्री भूपेन्द्र सिंह अध्यक्ष प्रन्यास स्व. महाराव खंगारजी सामाजिक सेवा ट्रस्ट, मालपुरा रोड, दूंदू जिला जयपुर ने पंजीकृत प्रन्यास, जिसका पंजीयन क्रमांक 31 जयपुर 2005 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत नवीन प्रन्यासियों की नियुक्ति कर उनके नाम, प्रन्यास विधान में संशोधन तथा प्रन्यासी श्रीमती प्रेम कंवर का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा उक्त संशोधनों को कार्यालय रिकार्ड में दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 05.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 12.12.2024
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
आदेश 22 नियम 4
न्यायालय अपर जिला जज बाडी, जिला धौलपुर (राज.)
उनवान- ज्वानसिंह वगैरा बनाम टीकम वगैर
COS No. 19/2015
दावा दीवानी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. बनाम
मुसम्मी 1. कृष्णा, 2. गोलो, 3. नर्वदा, 4. लीला, 5. लक्ष्मी, 6. राजकुमारी, 7. रीना, 8. प्रेमचन्द स्वमस्त पिसरान भगत मॉ रामबाई जातिगण कोली, निवासीगण ग्राम बृजफल का पुरा बसेडी, जिला धौलपुर (राज.) हाल निवासी जयपुर, तहसील व जिला जयपुर (राज.)
चूंकि वादीगण ने इस न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपरोक्त उनवान का वाद पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 रामबाई की मृत्यु हो चुकी है और वादीगण ने यह अभिकथन करते हुए इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उपरोक्त कृष्णा वगैरा को जो उक्त रामबाई के विधि प्रतिनिधी है। और यह इच्छा प्रकट की है कि उसके बदले आपको प्रतिवादी बनाया जाए। आपको समन किया जाता है कि आप उक्त वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए तारीख 13.11.2024 को 10.00 ए.एम. बजे पूर्वान्ह इस न्यायालय में हाजिर हों और यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
यह आज तारीख 21.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
न्यायाधीश
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
बाडी, जिला धौलपुर (राज.)

D.N. 832 22/10/24 **उद्घोषणा (इश्तिहार)**
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर- द्वितीय, जयपुर
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद संख्या:- 322/2024
श्रीमती शारदा देवी जैन बनाम बैंक ऑफ बडौदा
विषय: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।
प्रार्थी का नाम:-
1. श्रीमती शारदा देवी जैन पत्नि श्री ताराचंद जैन, उम्र 66 वर्ष, जाति-जैन, निवासी-3, चाणक्यपुरी, बनीपार्क, जयपुर-302016
2. श्रीमती ऋचा जैन पत्नि स्व. श्री दीपेश जैन, उम्र 38 वर्ष, जाति-जैन, निवासी-3, चाणक्यपुरी, बनीपार्क, जयपुर-302016
3. रायशा जैन पुत्री स्व. श्री दीपेश जैन, उम्र 11 वर्ष, जाति-जैन, निवासी-3, चाणक्यपुरी, बनीपार्क, जयपुर-302016 जरिये प्राकृतिक संरक्षक एवं माता श्रीमती ऋचा जैन पत्नि स्व. श्री दीपेश जैन, उम्र 38 वर्ष, जाति-जैन, निवासी-3, चाणक्यपुरी, बनीपार्क, जयपुर-302016
4. दिविशा जैन पुत्री स्व. श्री दीपेश जैन, उम्र 6 वर्ष, जाति-जैन, निवासी-3, चाणक्यपुरी, बनीपार्क, जयपुर-302016 जरिये प्राकृतिक संरक्षक एवं माता श्रीमती ऋचा जैन पत्नि स्व. श्री दीपेश जैन, उम्र 38 वर्ष, जाति-जैन, निवासी-3, चाणक्यपुरी, बनीपार्क, जयपुर-302016
मृतक स्व. श्री दीपेश जैन पुत्र श्री ताराचंद जैन की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक - 06-12-24
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक स्व. श्री दीपेश जैन पुत्र श्री ताराचंद जैन निवासी-3, चाणक्यपुरी, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अत: उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 6.12.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 23-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मुहर
आज्ञा न्यायालय से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:4621 जाहिर आम-सूचना दिनांक:06.11.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 65/58 (HIG), (एरिया 189.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री नरपत सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 58 दिनांक 29.04.1995 को जारी किया गया। श्री नरपत सिंह के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 18.09.1998 को उप पंजीयक-सांगानेर, जयपुर, के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री नरपत सिंह की मृत्यु दिनांक 18.01.2019 को हो जाने के कारण हकत्याग पत्र के आधार पर इनकी पत्नी श्रीमती विजय कवंर पत्नी स्व. श्री नरपत सिंह द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अत: उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती विजय कवंर पत्नी स्व. श्री नरपत सिंह का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे
ऑनलाइन खुली ई-निविदा सूचना
भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण)-पंचम, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर निम्नलिखित कार्य हेतु खुली ऑनलाइन ई-निविदा (दो पैकेट प्रणाली) ई टेंडरिंग प्रणाली पर निर्धारित इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र पर आमंत्रित करते है: **ई टेंडर संख्या: एनडबल्यूआर/एससी/एस डब्ल्यू एम-बाई पास/सी/514110107 कार्य का नाम एवं स्थान:** सवाई माधोपर-बाईपास नई रेल लाइन परियोजना के सम्बन्ध में एन एच-552 पर चैनेज 3390 पर चार लेन रोड ओवर ब्रिज की एप्रोज का निर्माण करना। **कार्य की अनुमानित लागत:** 48,57,74,708.79 रूपये **बयाना राशि:** 25,78,900.00 रूपये **निविदा जमा करने की अंतिम तारीख एवं समय:** 18.11.2024 को 15.00 बजे तक। **वैबसाइट का विवरण जहाँ निविदा की पूर्ण जानकारी देखी जा सकती है:** भारतीय रेलवे की ई टेंडरिंग वेबसाइट **www.ireps.gov.in कार्यालय इ मेल पता:** dyceciijp@gmail.com 1277-AJ/24
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: जविप्रा/जा.जोन-8/2023/डी-1772 **विज्ञप्ति** दि. 28.10.24
निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार पी के भूखण्ड संख्या 16 क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज की लीजडीड दिनांक 15.02.11 को रूचि कोठारी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार कोठारी के नाम से जारी की गई थी। तत्पश्चात इनके द्वारा श्री ओमप्रकाश जागिड पुत्र श्री रामेश्वरलाल को दिनांक 27.02.2020 को रजिस्टर्ड मु. आम नियुक्त किया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.02.24 के माध्यम से श्रीमती मेना देवी पत्नी श्री मुंशीराम को बेचान कर दिया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.24 के माध्यम से श्री मोतीराम पुत्र श्री अमरराम को बेचान कर दिया गया। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद- मियाद आवेदक के पक्ष में लीजडीड / नाम हस्तान्तरण पत्र जारी कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी ।
उपायुक्त जोन-8 जविप्रा, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक 4424 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 24.10.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास सं.266/281 (EWS), (एरिया 47.625 वर्ग मी.) प्रताप नगर सांगानेर का आवंटन श्री जयसिंह खींची पुत्र श्री चतुर्भुज को किया जाकर आवंटन पत्र कमांक 7450 दि.20.11.2003 को जारी किया गया। श्री दिलीप पुत्र श्री मोहन लाल के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र कमांक 201/217 दि.12.04.2013 के द्वारा किया गया। श्री दिलीप के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 15.04.2013 को उपपंजीयक-अष्टम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री दिलीप द्वारा श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता को दिनांक 18.09.2023 को मुख्त्यारनामा आमधारक नियुक्त किया गया। श्री मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दि.10.09.2024 के द्वारा श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री गोरधन दास को विकय कर उप-पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर के यहां विकय पत्र पंजीकृत करवाया गया। अत: उक्त आवास के बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री गोरधन दास का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

खोया-पाया
मक